न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
78/2021 प्रा.पत्र/2021	25.08.2021	20.03.2025

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री लड्डू लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स जैन किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास सोप तह. उनियारा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. ग्राम गलवानिया पोस्ट सोप तह. उनियारा जिला टोंक राज.। पिनकोड–304024

2–श्री प्रकाश चन्द जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स प्रकाश जनरल स्टोर गुरूद्वारा रोड पटवा गली सिटी सवाई माधोपुर राज.। पिनकोड–322001

3–श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री प्रेमचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राईजेन सीपी–2, रोड नं. 7, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा राज.। पिनकोड–324001 निवासी 21, रिद्दि सिद्दि एनक्लेव एक्शोटिका गार्डन के सामने, बून्दी रोड कुन्हाडी, शम्भूपुरा थर्मल कॉलोनी, कोटा राज.। पिनकोड–324008

........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित।

:–<u>निर्णय</u>–: दिनांक 20/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03.2021 को समय 03:36 पी.एम. पर मैसर्स जैन किराणा स्टोर बस स्टैण्ड के पास सोप तह. उनियारा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री लड्डू लाल जैन खादय पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री लड्डू लाल जैन को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री लड्डू लाल जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिकी प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु गुड, तेल, घी आदि अन्य खाद्य पदार्थों के साथ **रिफाइंड पाम ऑयल मधु रस ब्राण्ड (Refined Palm Oil Madhu Ras Brand)** 449–449 ग्राम के 22 मूल पैक रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

लड्डू लाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री लड्डू लाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया एवं एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड पाम ऑयल मधु रस ब्राण्ड (Refined Palm Oil Madhu Ras Brand)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, 449–449 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड पाम ऑयल मधु रस ब्राण्ड (Refined Palm Oil Madhu Ras Brand)** 449–449 ग्राम के 4 मूल पैक को ज्यों का त्यों खाकी कागज से लपेटकर नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिए नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–2826 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–2826 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विक्रेता श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री लड्डू लाल जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स प्रकाश जनरल स्टोर गुरूद्वारा रोड पटवा गली सिटी सवाई माधोपुर का वारन्टी बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स प्रकाश जनरल स्टोर से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स ऋषभ एन्टरप्राईजेज सीपी–2, रोड नं. 7, इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/809 दिनांक 08.04.2021 के द्वारा ज्ञात

Sd/-
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एलएस/448/एक्ट/2021/520 दिनांक 31.03.2021 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड पाम ऑयल मधु रस ब्राण्ड (Refined Palm Oil Madhu Ras Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाइंड पाम ऑयल मधु रस ब्राण्ड (Refined Palm Oil Madhu Ras Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड पाम ऑयल मधु रस ब्राण्ड (Refined Palm Oil Madhu Ras Brand)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण को निर्णय की सूचना हेतु पत्र जारी हों। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0